

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 124

प्रकरण क्रमांक-SM-URP-2025-02753

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "श्री विहार", प्रमोटर-दशमेश रियल बिल्डकॉन प्रा.लि., द्वारा पार्टनर (1) श्री हरमीत सिंह खनूजा, पता-प्लॉट नं.-303, ओम श्री किंग्स कोर्ट, शंकर नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) (2) श्रीमती अवर्णा मोधे, पता-सप्रेस्कूल के पास, बूढ़ापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) (3) श्री निखिल अंबिलकर, पता-46/775, तेली पारा, हनुमान मंदिर, जिला-रायपुर (छ.ग.) (4) श्रीमती अनिता द्विवेदी, पता-तिवारी कॉलोनी, टाटीबंध रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट- "श्री विहार" पता-नवागढ़, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/06/2025	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2025 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण दिनांक 09.06.2025 को न्याय निर्णायक अधिकारी को वसूली का निर्देश दिया गया। परन्तु अनावेदक द्वारा दिनांक 17.06.2025 को प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 02 लाख को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>